रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052020-219493
CG-DL-E-21052020-219493

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2020/वैशाख 31, 1942
No. 232] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2020/VAISAKHA 31, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2020

संख्या 24 /2020 - सीमा शुल्क

सा.का.नि. 306 (अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की उन प्रत्येक अधिसूचनाओं में, जो कि नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में दी गयी हैं, आगे भी संशोधन करती है तथा ये संशोधन उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गयी तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट तरीके से किए जाएंगे । यथा:-

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	40/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 21 जुलाई, 2015 [सा.का.नि.सं. 568 (अ), दिनांक 21 जुलाई, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, - (क) तालिका में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां सम्मिलित की

		जाएंगी, यथा: "5. इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई। " (ख) शर्त (x) में, निम्नलिखित परंतुक सम्मिलित किया जाएगा, यथा: - "बशर्ते कि उन मामलों में जहां पुनर्निर्यात की अंतिम तिथि 1 फरवरी, 2020 और 31 जुलाई, 2020 के बीच आती है, अंतिम तिथि छह महीने के लिए बढ़ाई जाती है;"।
2.	56/2000 -सीमा शुल्क दिनांक 05 मई, 2000 [सा.का.नि. 399 (अ), दिनांक 05 मई, 2000 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक सम्मिलित किया जाएगा, यथा: - "बशर्ते यह भी कि, उन मामलों में जहां निर्यात की अंतिम तिथि 1 फरवरी, 2020 और 31 जुलाई, 2020 के बीच आती है, निर्यात की अंतिम तिथि छह महीने के लिए बढ़ाई जाती है"।
3.	57/2000 -सीमा शुल्क दिनांक 08 मई, 2000 [सा.का.नि. 413 (अ), दिनांक 8 मई, 2000 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक सम्मिलित किया जाएगा, यथा: - "बशर्ते यह भी कि, उन मामलों में जहां निर्यात की अंतिम तिथि 1 फरवरी, 2020 और 31 जुलाई, 2020 के बीच आती है, निर्यात की अंतिम तिथि छह महीने के लिए बढ़ाई जाती है"।

[फा.सं. DGEP / EOU / 08/2020]

गोपाल कृष्ण झा, निदेशक (ड्रॉबैक)

नोट:-

(1) प्रधान अधिसूचना संख्या 40/2015 -सीमा शुल्क, दिनांक 21 जुलाई, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में सा.का.नि. संख्या 568 (अ), दिनांक 21 जुलाई, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम रूप से अधिसूचना संख्या 61/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा संशोधित किया गया एवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा(i)में सा.का.नि. संख्या 739 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया।

(2) प्रधान अधिसूचना संख्या 56/2000-सीमा शुल्क, दिनांक 05 मई, 2000 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में सा.का.नि. संख्या 399 (अ), दिनांक 05 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम रूप से अधिसूचना संख्या 90/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 27 नवम्बर, 2017 द्वारा संशोधित किया गया एवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा(i)में सा.का.नि. संख्या 1450 (अ), दिनांक 27 नवम्बर,2017 द्वारा प्रकाशित किया गया।

(3) प्रधान अधिसूचना संख्या 57/2000-सीमा शुल्क, दिनांक 08 मई, 2000 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में सा.का.नि. संख्या 413 (अ), दिनांक 08 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम रूप से अधिसूचना संख्या 28/2019 - सीमा शुल्क, दिनांक 02 सितंबर, 2019 द्वारा संशोधित किया गया एवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा(i)में सा.का.नि. संख्या 624 (अ), दिनांक 02 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2020

No. 24 /2020 - Customs

G.S.R. 306(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, which shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Notification number and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	40/2015-Customs, dated the 21st July, 2015 [G.S.R. 568(E), dated the 21st July,2015]	In the said notification, - (1) in the Table, after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:- "5. International Gemological Institute (India) Pvt. Ltd, Bandra Kurla Complex, Mumbai."; (b) in condition (x), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that for the cases where the last date of re-export falls between the 1st February, 2020 and the 31st July, 2020, the last date stands extended by six months;".
2.	56/2000-Customs dated the 5th May, 2000 [G.S.R 399(E), dated the 5th May, 2000]	In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided also that for the cases where the last date of exports falls between the 1st February, 2020 and the 31st July, 2020, the last date of exports stands extended by six months.".
3.	57/2000-Customs dated the 8th May, 2000 [G.S.R. 413(E), dated the 8th May, 2000]	In the said notification, after the second proviso the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided also that for the cases where the last date of exports falls between the 1st February, 2020 and the 31st July, 2020, the last date of exports stands extended by six months.".

[F. No. DGEP/EOU/08/2020]

GOPAL KRISHNA JHA, Director (Drawback)

Note:

(1) The principal notification No. 40/2015-Customs, dated the 21st July, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,Sub-section (i), vide number G.S.R. 568(E), dated the 21st July, 2015 and was last amended by notification No. 61/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 739 (E), dated the 30th June, 2017.

(2) The principal notification No. 56/2000-Customs, dated the 5th May, 2000 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 399 (E), dated the 5th May, 2000 and was last amended by notification No. 90/2017-Customs, dated 27th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 1450 (E), dated the 27th November, 2017.

(3) The principal notification No. 57/2000-Customs, dated the 8th May, 2000 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 413 (E), dated the 8th May, 2000 and was last amended by notification No. 28/2019-Customs, dated 2nd September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 624 (E), dated the 2nd September, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.05.21 20:43:53 +05'30'